'जादू' का खेल, भारत से पशु निर्यात पर पाबंदी के बावजूद बांगला देश में 15 लाख पशुओं का आयात

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

भारत सरकार ने देश से पशु निर्यात पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद प्रतिवर्ष बांगला देश में 15 लाख पशुओं का वैध आयात हो जाता है। इन पशुओं में 70 प्रतिशत के करीब गौ वंश होता है। इन 15 लाख पशुओं के आयात से बांगला देश अरबों-खरबों का गोश्त व खालें आदि का निर्यात कर के विदेशी मुद्रा कमाता है।

विदित है कि बांगला देश पूरी तरह भारत से घिरा है, केवल थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी की ओर खुला है। जाहिर है ये पशु खाड़ी से तो आते नहीं, आते तो भारत से ही हैं। भारत के पश्चिम बंगाल में तो इतने पशु हो नहीं सकते जो इतना बड़ा आंकड़ा पूरा कर सकें। इसके लिये देश भर से, खास कर हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार आदि से पशु वहां पहुंचाये जाते हैं।

इन पशुओं को बांगला देश बार्डर के निकट बने ठिकानों (प.बंगाल, असम आदि) तक पहुंचाने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित सिस्टम है। गांव-गांव से पहले पैदल, फ़िर ट्रकों में लाद कर इन्हें वहां पहंचाया जाता है। रास्ते में पड़ने वाले दर्जनों नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों को रिश्वत देकर इन्हें पार कराया जाता है। लगभग सभी प्रदेशों में हिंदू सरकारें और नाकों पर अधिकांश हिंदू पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। नाकों के ऊपर निगरानी करने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी अधिकतर हिंदू ही होते हैं।

प.बंगाल, असम आदि राजयों में पहुंचने पर इन्हें बांगला देश सीमा से सटे गांवों में रखा जाता है। इन ठिकानों को रखाल कहा जाता है। समझने वाली बात यह है कि यहां तक पहुंचते-पहुंचते ये पशु कई हाथों से गुजरते हैं। हर नया हाथ कुछ न कुछ दाम बढा कर ही पहले वाले से खरीदता है। इस प्रकार हरियाणा-राजस्थान आदि से 500-1500 रुपये में चला पशु बार्डर तक पहुंचते-पहुंचते 5 से 10 हज़ार तक का हो सकता है। यहां के व्यापारी बार्डर पार कराने के लिये बीएसएफ़ से सेंटिंग कर, उन्हें भी रिश्वत देकर बार्डर पार कराते हैं; परन्तु यह तरीका हमेशा और हर जगह कामयाब नहीं होता। असली तरीका बड़े पैमाने पर चोरी से व जबरन बार्डर पार कराने का है। भारत-बांगलादेश बार्डर इतना विशाल एवं छिद्रों वाला है कि इसे पूरी तरह सील कर पाना असम्भव है।

भारत से कई नदियां बांगलादेश में प्रवेश करती हैं। पशु तस्कर दो पशुओं को गलजोट कर के उन्हें नदी में ले कूदता है। एक वक्त में जब तस्कर दो-दो पशु लेकर नदी में कूदते हैं तो बीएसएफ़ वाले कुछ खास कर पाने में असमर्थ हैं। जानकार बताते हैं कि बीएसएफ़ मात्र 10 प्रतिशत पशुओं को ही पकड़ पाती है। कुछ दिन अपने पास रखने के बाद बीएसएफ़ इन्हें कस्टम वालों के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन रखने के बाद कस्टम वाले भी इन्हें नीलाम कर देते हैं। नीलामी में इन्हें खरीदने गौशाला अथवा गौरक्षक तो आयेंगे नहीं, वही तस्कर इन्हें खरीद कर फ़िर से रखाल में रख देते हैं और पूरी खेप तैयार होने पर इन्हें फ़िर से बार्डर पार कराया जाता है।

बार्डर पार करते ही बांगला देश कस्टम वाले 100 टका प्रति पशु का शुल्क वसूल कर उनका आयात वैध बनाने के साथ-साथ भारी मात्रा में राजस्व कमाते हैं। वहां पहुंच कर, वही गाय जो यहां की गलियों में पोलीथीन खाती घूम रही होती है, 30 से 40 हज़ार की हो जाती है। इस पूरे चक्कर में जहां भारत सरकार पशु तस्करी की रोक-थाम पर भारी खर्च उठाती है वहीं बांगला देश की सरकार मोटा राजस्व, विदेशी मुद्रा कमाती है तथा गोश्त कारखाने व कारोबारी मोटा मुनाफ़ा।

गौर से देखा जाय तो यह सारा मामला अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। केवल धर्म एवं आस्था से गाय को नहीं बचाया जा सकता। इसके लिये गौ-अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाना जरूरी है, जिसकी ओर आज तक किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इसके विपरीत भारत में गौ-रक्षक अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी गयी। जगह-जगह गौ-रक्षक गिरोह खड़े हो गये। इन गिरोहों ने गौ रक्षा के नाम पर अनेक लोगों को जान से मार डाला, अनेकों को घायल कर डाला, उनके पशुओं को लूट लिया। अपनी दहशत का साम्राज्य स्थापित करने के बाद इन्होंने भी गौ तस्करों से सांठ-गांठ कर वसूली शुरू कर दी। इसका सीधा असर गांव देहात के उस पशु-पालक पर हुआ जो अपने पशु को 500-1500 में बेच लेता था। अब उसे वह पशु न केवल मुफ़्त के भाव देना पड़ता है बल्कि कत्ल के ठिकाने पर छोड़ कर भी स्वयं आना पड़ता है। इस प्रकार तस्करी एवं गोश्त का करोबार ज्यों का त्यों चल रहा है।

सेक्टर 22 श्मशान के निकट नशे का बड़ा कारोबार जारी है

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब 7-8 माह पूर्व क्राइम ब्रांच ने छापा मार कर गांजे की बड़ी खेप के साथ-साथ करीब 19 लाख रुपये नकद भी बरामद किये थे। यह ठिकाना सेक्टर 22 के श्मशान घाट के बगल से कपड़ा कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क के किनारे बसी कुछ झुग्गियों में है। इस कारोबार का असल मालिक कन्हैया व उसका भाई लाला है। लेकिन इन दोनों से भी कहीं अधिक तेज़-तर्रार इनका नौकर राजू नेपाली है।

इस अड्डे से गांजा सुल्फ़ा व स्मैक का थोक व परचून व्यापार होता है। पहले पड़े छापे में जब 19 लाख पुलिस के हाथ लगे थे, उस वक्त लाला को पुलिसिया सरगर्मी की थोड़ी सी भनक लगते ही वह एक बड़ी रकम व कुछ सुल्फ़ा और स्मैक लेकर भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसके बावजूद उसका कारोबार ज्यों का त्यों ही नहीं बल्कि बढ-चढ कर चल रहा है। अड्डे के आसपास भी कुछ युवकों को नशे का सेवन करते देखा जा सकता है।

जो कारोबार इतने बड़े पैमाने पर खुले आम हो रहा हो उसकी भनक पुलिस को न हो, यह सम्भव नहीं। जानकार बताते हैं

कि पुलिस से सेटिंग करके रखने का जिम्मा राजू नेपाली का है। इसलिये वह अक्सर थाना मुजेसर में आता-जाता रहता है। नशे का जो कारोबारी इतना बड़ा धंधा कर रहा हो तो उसका करिंदा थाने में घूमने तो जायेगा नही, जाहिर है थाने वालों का तय-शुदा भुगतान ही वह करके आता होगा। भुगतान की रकम का अभी सही पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा थाने व सीआईए के पुलिस कर्मियों को भी इनके अड्डे पर आते-जाते देखा जाता है।

फ़रीदाबाद पुलिस की मिलीभगत के चलते नशे के व्यापारी यहां खुल कर खेल रहे हैं। इसी के चलते दिनांक 11 अप्रैल को फ़रीदाबाद से दिल्ली को जाने वाले 10 क्विंटल गांजे की एक खेप दिल्ली पुलिस ने बदरपुर बार्डर पर ही पकड़ ली, जबकि फ़रीदाबाद पुलिस सोई रही।

आरटीआई को मजाक समझते हैं 'हूडा' अधिकारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे 'हूडा' (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) के अधिकारी बिना रिश्वत डकारे किसी भी काग़ज अथवा फ़ाइल को छूना पाप समझते हैं। अपनी इसी नीति के चलते आरटीआई एक्ट के तहत चलने वाले काग़ज़ात को छूने में इन्हें बड़ी परेशानी होती है। इसका एक उदाहरण है 13 मार्च 2019 को आरटीआई एक तहत दायर की गयी एक दरखास्त। इसमें केवल इतना पूछा गया था कि सेक्टर 8 से लेकर सेक्टर 17 तक के पिछवाड़े तथा बाइपास के बीच बसाई गयी झुग्गियों में रहने वालों के लिये 'हूडा' ने शौचालय की क्या व्यवस्था कर रखी है? साथ ही यह भी पूछा गया था कि इन निवासियों से 'हूडा' के ही कुछ कर्मचारी जो किराया वसूली करते हैं, उसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को है या नहीं?

इसके जवाब में दो अप्रैल का लिखा एक पत्र, सूचना मांगने वाले को 6 अप्रैल को मिला। इसमें बताया गया है कि उसकी दरखास्त किसी सम्बन्धित एसई को भेज दी गयी है। विदित है कि वह एसई भी 'हूडा' के उसी कार्यालय भवन में बैठता है जहां दरखास्त लगाई गयी थी और सूचना मांगने वाला भी कहीं दूर देश में नहीं बल्कि सेक्टर 14 में ही रहता है जहां पत्र पहुंचने में दो दिन लग गये।

विदित है कि आरटीआई एक्ट के अनुसार मांगी गयी सूचना 30 दिन में देनी होती है और यहां 21 दिन तो वादी की दरखास्त को एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचने में ही लग गये। और अभी क्या है, अभी तो एसई साहब के यहां से भी कई साहबों के पास ऐसा ही पत्र घूमेगा। इस तरह की पत्रबाज़ी पर बाकायदा डाक खर्च और समय भी बर्बाद होता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि बस असल काम ही नहीं करना बाकी सब कुछ करना है।

आरटीआई एक्ट का इस तरह से मज़ाक उड़ाये जाने के पीछे सरकार व उसके द्वारा नियुक्त सूचना आयुक्त हैं जो ऐसे अधिकारियों के साथ सख्ती से नहीं निपटते।

मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ करेगी पुलिस कार्यवाही

फ़रीदाबाद (म.मो.) गौरव पांडा व उनका पुत्र फ्लैक्स का कारोबार करते हैं। दिनांक 7 अप्रैल को वे अपना हिसाब-किताब एवं लेन-देन करने एनआईटी के एनएच-1 में मनोज चौधरी के यहां पहुंचे तो उसने दोनों की ऐसी पिटाई की कि उन्हें पहले बीके व फ़िर एशियन अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। बीके में जाने से पहले वे ज्यों के त्यों फ़टे हाल थाना कोतवाली पहुंचे तो वहां आरोपी मनोज चौधरी पहले से ही थानेदार के पास चौड़ा होकर बैठा था। पांडा की फ़रियाद पर कोई कार्यवाही करने की बजाये थानेदार ने उल्टे पांडा को ही धमकाया कि कहीं गिर-पड़ कर चोट खा ली और झूठी शिकायत दर्ज कराने थाने चले आये।

अपना सा मुंह लेकर पिता-पुत्र इलाज कराने अस्पताल चले गये। उधर पांडा की पत्नी महिमा ने मुख्यमंत्री खट्टर को ट्विट कर सारे मामले की जानकारी दी तो 5 दिन बाद पुलिस ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पता चला है कि गिरफ़्तारी के बाद आरोपी जेल में है।

लेकिन यहां बड़ा प्रश्न यह उठता है कि स्थानीय पुलिस से कार्यवाही कराने के लिये क्या अब मुख्यमंत्री तक जाना पड़ा करेगा?

क्या मुख्यमंत्री को यही काम रह गया? थानों के ऊपर जो अफ़सरों की फ़ौज बैठा रखी है, जिनका काम थानों की कार्यशैली की निगरानी करना है, वह किस लिये पाल रखी है? इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उक्त लापरवाही के लिये न तो किसी अफ़सर को फ़टकारा और न ही थाने वालों को।